भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 274

21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीडीएससीओ द्वारा दवाओं का परीक्षण और निगरानी

274. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा परीक्षण किए गए कफ सिरप, दवाओं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ओआरएस), प्रोटीन पाउडर और अन्य पोषण पूरकों के नमूनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घटिया या मिलावटी नमूनों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है तथा संबंधित निर्माताओं या वितरकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने नकली स्वास्थ्य और पोषण उत्पादों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दवा परीक्षण बुनियादी ढांचे और प्रयोगशाला क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश में दवाओं का विनिर्माण, विक्रय और वितरण, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग और निरीक्षण की एक प्रणाली के माध्यम से विनियमित किए जाते हैं।

विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों (एसडीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों द्वारा अवमानक/नकली/मिलावटी रिपोर्ट किए गए औषधि नमूनों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	जांचे गए औषधियों के नमूनों की संख्या	अवमानक गुणवत्ता वाली औषधियों के नमूनों की संख्या	नकली घोषित किए गए औषधियों के नमूनों की संख्या
2021-22	88,844	2,545	379
2022-23	96,713	3,053	424
2023-24	1,06,150	2,988	282
2024-25	1,16,323	3,104	245
2025-26	1,41,322	3012	283

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएस), 2006 के अंतर्गत स्थापित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करते हैं।

(ग): गुणवत्ता मॉनिटरिंग के एक भाग के रूप में और देश में दवा विनिर्माण परिसरों के विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य विनियामकों के सहयोग से दिसंबर, 2022 में औषधि विनिर्माण और परीक्षण फर्मों के जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किए। फर्मों की पहचान जोखिम मानदंडों जैसे गैरमानक गुणवत्ता वाली घोषित की गई दवाओं की संख्या, शिकायतें, उत्पादों की महत्ता आदि के आधार पर की गई है। आज की स्थिति के अनुसार, सीडीएससीओ ने एसडीसी के साथ मिलकर दिसंबर, 2022 से 1040 से अधिक परिसरों का जोखिम-आधारित निरीक्षण किया है और निष्कर्षों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ओषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करना,

उत्पादन बंद करने का आदेश, निलंबन, लाइसेंस/उत्पाद लाइसेंस रद्द करना, चेतावनी पत्र जैसे 950 से अधिक कार्रवाई की गई है।

केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाली नकली/मिलावटी घोषित विभिन्न कंपनियों की दवाओं की सूची, सीडीएससीओ की वेबसाइट पर 'ड्रग अलर्ट' (www.cdsco.gov.in) शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की जाती है और उपलब्ध होती है तथा ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ): इसके अतिरिक्त, देश में औषधि नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'राज्यों की औषधि नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना' (एसएसडीआरएस) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। इस योजना में देश में मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं को उन्नत करना, नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और मौजूदा राज्य दवा नियंत्रण कार्यालयों का उन्नयन करना शामिल है। एसएसडीआरएस योजना के तहत, केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 756 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 24 नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं निर्मित की गई हैं और 32 मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया है।
